अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या- 77

दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 14 ,2015

सेवा मे,

1-पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
2-पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
3-पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ।
4-पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, लखनऊ।
5-पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6-पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा, उ0प्र0 लखनऊ।
7-पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ0प्र0 लखनऊ।
8-पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
9-पुलिस महानिदेशक, पुलिस आवास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
10-पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
11-अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
12-अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
13-अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
14-अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0 लखनऊ।
15-अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
16-अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
17-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
18-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
19-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
20-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

विषयः अवमानना याचिका संख्या-6797/2015 फणीन्द्र बिहारी राय बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 4-11-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

.....

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के, अधोहस्ताक्षरी सहित आप सभी को सम्बोधित पत्र संख्या-2270/6-पु-2-2015-02(एमआर)/15 दिनॉक 8-12-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 4-11-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह संवीक्षण किया कि प्रथम दृष्टया सम्बन्धित अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, जिसके

कारण पीड़ित पक्ष अवमानना वाद दाखिल करने हेतु विवश होता है । अवमानना याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु समय प्रदान किये जाने भी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है । उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के संवीक्षण से जहॉ एक ओर विभाग तथा शासन की छवि धूमिल होती है वहीं दूसरी ओर समूची कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

3- अनेक अवसरों पर मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय/न्यायालयों द्वारा यह संवीक्षण किया गया है कि राज्य को अपने ही अधीनस्थ कर्मियों से परिहार्य प्रकरणों में अकारण मुकदमेबाजी से बचना चाहिए । ऐसी स्थितियों का तत्काल परिहार किये जाने हेतु तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यकविचारोपरॉत निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

(क)जब भी किसी कर्मी द्वारा रिट याचिका आदि दायर करने के पूर्व किसी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के समक्ष प्रत्यावेदन आदि प्रस्तुत किया जाय, तो उसका वरिष्ठतम स्तर पर संज्ञान लेकर समयबद्ध ढंग से विस्तृत, वस्तुपरक एवं नियमसंगत निस्तारण किया जाय ।

(ख)रिट याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका/अपील आदि दायर होने पर तत्काल प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराया जाय ।

(ग)मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की प्रतियॉ प्राप्त होने के विलम्बतम 07 कार्य दिवसों में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा तथा शासन के मामले में सक्षम स्तर द्वारा अनुपालन करने अथवा विभागीय हितों के दृष्टिगत विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका आदि यथास्थिति दाखिल करने से सम्बन्धित निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(घ)ऐसे प्रकरणों की प्रत्येक स्तर पर मासिक समीक्षा की जाय ।

(च)उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए न्यायालीय आदेशों के अवमानना के अवसरों की सम्भावनाओं पर तत्काल विराम लगाया जाय ।

(छ)यदि उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो उस दशा में दायित्व निर्धारित कर शीघ्रातिशीघ्र किन्तु विलम्बतम 90 दिनों में दोषी कर्मियों को दृष्टान्त योग्य(Exemplary) दण्ड दिया जाय, जिससे वाद/रिट याचिका आदि में व्यय धनराशि की वसूली अनिवार्यतः सम्मिलित की जाय ।

4- अतः आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाय ।

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।